(214)

संख्या–178 /XLI-1(प्रशि.)/2011-4/11

प्रेषक,

ओ.पी. तिवारी,
उप सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशिक्षण, उत्तराखण्ड,
हल्द्वानी।

प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा अनुभाग देहरादून दिनांक 28 जून, 2011

विषयः– वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय–व्ययक की अवचनबद्ध मदों की वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या–6149/डीटीईयू/0202/प्रस्ताव/11/2011–12 दिनांक 07.06.2011 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल वित्तीय वर्ष 2011–12 में आयोजनेत्तर पक्षान्तर्गत राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षणरत् प्रशिक्षार्थियों को व्यवसायवार प्रयोगात्मक कार्य में रॉ–मैटीरियल आदि उपलब्ध कराने के प्रयोजनार्थ धनराशि ₹1,50,000/– (रूपये एक लाख पचास हजार मात्र) की स्वीकृति प्रदान करते हुए आपके निवर्तन पर रखते हुए व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– उक्त मद में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाये। धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है, जिसे व्यय करने से बजट मैनुअल या वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों का उल्लंघन होता हो। जहां व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, वहां ऐसा व्यय सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जायेगा।

3– व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है, मितव्ययिता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी शासनादेशों/अन्य आदेशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाये। व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा जिसके लिए यह स्वीकृत किया जा रहा है।

4– उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 के अनुदान संख्या–16 के मुख्य लेखाशीर्षक 2203–श्रम तथा रोजगार की सुसंगत मानक मदों के नामे डाला जायेगा। यह आवंटन निदेशालय प्रशिक्षण एवं सेवायोजन तथा प्रशिक्षण प्रखण्ड के अन्तर्गत संचालित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के संचालन हेतु किया जा रहा है।

5– यदि किसी योजना/शीर्षक एवं मद में आय–व्ययक 2011–12 में बजट प्रावधान में प्राविधानित धनराशि से कम हो तो धनराशि आय–व्ययक प्रावधान की सीमा तक ही व्यय की जाएगी।

6– स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग दिनांक 31.03.2012 तक करते हुये प्रत्येक माह की व्यय की गयी धनराशि का विवरण बी.एम.–13 पर प्रत्येक दशा में शासन को उपलब्ध कराया जाएगा।

7– निदेशालय द्वारा आहरण–वितरण अधिकारियों को बजट का आवंटन उनके अधीन वर्तमान में संचालित प्रत्येक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को प्रत्येक मद में संस्थावार आवश्यकतानुसार फांट करते हुये किया जायेगा और जिसकी प्रति प्रत्येक दशा में शासन को भी उपलब्ध कराई जायेगी।

8– इस सम्बन्ध में होने वाला वित्तीय वर्ष 2011–12 के अनुदान संख्या–16 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–2230–श्रम तथा रोजगार–03–प्रशिक्षण–003–दस्तकारों तथा पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण–00–आयोजनेत्तर–03–दस्तकार प्रशिक्षण योजना एवं अधिष्ठान–42–अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

9– यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–209/XXVII(1)/2011 दिनांक 31.03.2011 में दिये गये निर्देशों के कम में जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,

(ओ.पी. तिवारी)
उप सचिव।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. वरिष्ठ कोषाधिकारी, समस्त जनपद, उत्तराखण्ड।
3. वित्त नियंत्रक/वित्त अधिकारी, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय, हल्द्वानी।
4. प्रधानाचार्य/आहरण–वितरण अधिकारी, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, देहरादून/हरिद्वार/श्रीनगर/बड़कोट/कर्णप्रयाग/सल्टमहादेव/कालसी/रूद्रप्रयाग/अल्मोडा/हल्द्वानी/काशीपुर/टनकपुर/पिथौरागढ/नई टिहरी।
5. एनआईसी, सचिवालय।
6. नियोजन विभाग/वित्त विभाग–5
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुनील सिंह)
अनु सचिव